

विभाग/कार्यालय का नाम -

गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल

क्रमांक:-

दिनांक:- 01/05/2025

आंतरिक समिति गठन कार्यालय आदेश

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 5358 दिनांक 10.02.2014 एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के पत्र क्रमांक 3158 दिनांक 01.01.2024 एवं श्रीमान आयुक्त महिला अधिकारिता के राजकाज Ref- 9254119 दिनांक 25.07.2024 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिकार) अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण हेतु इस कार्यालय/संस्थान के स्तर पर निम्नानुसार आंतरिक समिति (Internal Committee) का गठन किया जाता है -

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य	मोबाइल नं.	ईमेल आईडी
1.	डा. विजयपाल ठाकुर	डा. प्रोफेसर	अध्यक्ष	9414030551	gurukulinternationalschool@gmail.com
2.	प्रशान्त ठाकुर	प्रिन्सिपल	सदस्य	9824385768	"
3.	रंजू काला	अध्यापिका	सदस्य	9904543378	"
4.	स्नेहम रानी	अध्यापिका	सदस्य	9724634380	"
5.	शारदा	अध्यापिका	सदस्य सचिव	6376825132	"

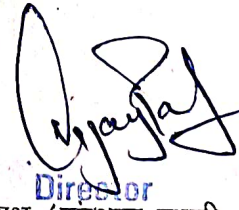
क्रमांक:

प्रतिलिपि -

1. श्रीमान आयुक्त महोदय, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर।
3. उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, सीकर।
4. संबंधित श्री/श्रीमती.....

कार्यालय अध्यक्ष/संस्थान प्रभारी

गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल
H.M.11, Banthod Stand, Banthod, Fatehpur (SIKAR)


Director

कार्यालय अध्यक्ष/संस्थान प्रभारी
गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल
H.M.11, Banthod Stand, Banthod, Fatehpur (SIKAR)